फर्द अहकाम

कार्यालयः– न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
अनवानः– रेलीगेयर हाउसिंग फाइनेंस बनाम लक्ष्मीलाल नगारची
किस्म मुकदमाः– सरफेसी प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्याः– 122/21

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाऐं जारी की गई।
	16.04.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण विड्रो किये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विपक्षी के ऋण खाते को एडलवाइस को एसाइन कर दिया है जिस वजह से प्रार्थी कम्पनी अपने विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इस अनवान प्रकरण में अन्य कोई अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लाना चाहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा इस अनवान प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रो करने की अनुमति न्यायहित में प्रदान फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थी के ऋण खाते को एडलवाइस को एसाइन करने से प्रार्थी अब इस प्रकरण में कोई कायवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रो से स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द किया जाता है। प्रकरण फेसल शुमार हो। बाद किताशुमारी दाखिल दफ़्तर हो। (नमित मेहता) जिला कलक्टर उदयपुर	